न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश **बनाम** सोनी देवी

76/2021(TI)

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व०प० उपस्थित। चूंकि बहस सुनी जा चुकी है। प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Shar
Date: 2023.01.05 14:40:23 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 76/2022 निर्णय दिनांक : 25.11.2022

कैलाश चौधरी पुत्र स्व. श्री रामलाल चौधरी उम्र 50 वर्ष, जाति जाट, निवासी बी–398, पारिक कालेज रोड, बनीपार्क, जयपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सोनी देवी पत्नी स्व. श्री रामलाल चौधरी उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी बी 398, पारीक कालेज रोड, बनीपार्क, जयपुर।
2. मीरा चौधरी पुत्री स्व. श्री रामलाल चौधरी पत्नी श्री मदन लाल नेहरा उम्र 55 वर्ष, जाति जाट, पता–प्लाट न. 25, चौधरी कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर।
3. लक्ष्मी चौधरी पुत्री स्व. श्री रामलाल चौधरी पत्नी श्री कमल महालावत उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, पता– प्लाट न. 28, आजाद नगर, 60 फीट रोड, दाउदपुर, अलवर।
4. मीनू चौधरी पुत्री स्व. श्री रामलाल चौधरी पत्नी श्री महेन्द्र चौधरी उम्र 36 वर्ष, जाति जाट, पता– प्लाट नं. 375, जमनापुरी मुरलीपुरा स्कीम, सीकर रोड जयपुर
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय, आमेर, कार्यालय आमेर तहसील, आमेर जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– (1) श्री मनीष शर्मा व पंकज शर्मा अधिवक्ता वादी ओर से

(2) श्री बी.एल. यादव अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या – 1, 2, 4 ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक:–25.11.2022

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि कृषि भूमि ग्राम नांगलपुरोहित पटवार हल्का नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 599 रकबा 0.01000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 600 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर स्थित है। जो इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त है। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में आगे मदों में वादग्रस्त आराजीयात कहकर सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीया क्रम–2 ल. 4 के पिता व अप्रार्थीया क्रम–1 के पति स्व. श्री रामलाल के द्वारा प्रेम व स्नेहवश अप्रार्थीया क्रम–1 के नाम पर जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 03.07.1991 द्वारा क्रय किया गया था। अप्रार्थीया क्रम–1 गृहणी थी तथा अप्रार्थीया क्रम–1 के पास आय का किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था। उक्त कृषि भूमि को क्रय करने में प्रार्थी व अप्रार्थीया क्रम–2 ल. 4 के पिता व अप्रार्थीया क्रम–1 के पति स्व. श्री रामलाल के द्वारा ही समस्त राशि व्यय की गई थी। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि के वास्तविक स्वामी प्रार्थी व अप्रार्थीया क्रम–2 ल. 4 के पिता व अप्रार्थीया क्रम–1 के पति स्व. श्री रामलाल थे। अप्रार्थीया क्रम–1 के द्वारा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 600 में प्रार्थी का 1/7 हिस्से के एवज में जरिये उपहार पत्र दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से 1511.73 वर्ग गज कृषि भूमि दी गयी थी तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण भी खुलवा लिया है। कृषि भूमि खसरा नंबर 599 में प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि अप्राथीया क्रम–1 ने देने का शीघ्र आश्वासन दिया गया था। इस प्रकार प्रार्थी को कृषि भूमि खसरा नंबर 600 में अपना हिस्सा प्राप्त हो गया था। प्रार्थी कृषि भूमि खसरा नंबर 599 में अपना हिस्से की प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी कृषि भूमि खसरा नंबर 599 में अपना हिस्सा 1/7 की घोषणा करने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि खसरा नंबर 600 में प्रार्थी का 3016/2025 हिस्सा, नियत है तथा वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि खसरा नंबर 599 में प्रार्थी का 1/7 [illegible] नियत है। वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि खसरा नंबर 599 में प्रार्थी का 1/7 [illegible] करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि [illegible] प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने मनबंट से बाटकर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान सरकार शामलाती अदा करते आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि का खाता शामलाती है। कानूनन विधि सम्मत बटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

भूमि आबादी के नजदीक आ जाने के कारण स्थानीय भूमाफिया लोगों के नजर चढ गयी है तथा भूमाफिया लोग अप्रार्थीगण को बरगलाकर जबरन वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग जबरन कब्जा करने, प्रार्थी को जबरन बेदखल करने को आमादा हो रहे हैं। अतः प्रार्थी के द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रार्थी संख्या 1 ता 4 कृषि भूमि ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 599 रकबा 0.01000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 600 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर के किसी भी भाग किसी भी दीगर व्यक्ति को विक्रय, दान, बख्शीश व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे तथा ना ही प्रार्थी को उसके कब्जे की वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा नहीं करे। न वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी के निहित हिस्से के उपयोग उपभोग में मजामहत करे। प्रार्थी ने निवेदन किया की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 22.08.2022 को अप्रार्थीगण संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना मे अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना अस्वीकार है, बकिया मद हाजा के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का वाद कानूनन चलने योग्य ही नहीं होने से उसमें प्रार्थी को कतई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या [illegible] में वर्णित सजरा खानदान बाबत कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है लेकिन उक्त आराजीयात को गलत रूप से वादग्रस्त सम्बोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित विवरण असत्य व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार हैं। प्रार्थी के पिता द्वारा प्रेम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु॰ जयपुर

व स्नेहवश विपक्षियां नंबर 1 के नाम से भूमि जरिये विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त नही किया। मद हाजा में यह भी गलत अंकित किया गया है कि विपक्षिया नंबर 1 के पास कोई आय का जरिया नही रहा हो, ना ही प्रार्थी के पिता को कभी उक्त आराजीयात बाबत स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुये। बल्कि वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विपक्षियां नंबर 1 डेयरी फार्म चलाकर आय अर्जित किया करती थी तथा उसके पास आय के साधन शुरू से ही रहे हैं तथा विपक्षियां नंबर 1 ही अपने द्वारा अर्जित आय से बच्चों का पालन पोषण करती थी। विपक्षियां नंबर 1 का पति व प्रार्थी का पिता नशा करने का आदी था तथा कोई काम काज नही करता था तथा उसके पास निजी आय का कोई साधन नहीं था। उक्त भूमि विक्रय पत्र के जरिये विपक्षी नंबर 1 द्वारा स्वयं के अर्जित द्रव्य से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उसमें समस्त खातेदारी व मालिकाना हक अधिकार निहित रहे हैं। उक्त तथ्यों की समस्त जानकारी प्रार्थी की रही है तथा इसी कारण उसके द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में तथा उसके बाद कोई आपत्ति नहीं की। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में प्रार्थी के पिता रामलाल का स्वर्गवास दिनांक 25.01.2005 को व शिव देवन्दा का स्वर्गवास होना स्वीकार है, बकिया मद हाजा के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पत्ति में हरब मद प्रार्थी व प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही रहा तथा ना ही शिव देवन्दा की पत्नी श्रीमति अल्का चौधरी का कोई हक हिस्सा कभी निहित रहा। श्रीमति अल्का चौधरी व शिव देवन्दा का आपस में तलाक/विवाह विच्छेद निर्णय दिनांक 18.02.2011 द्वारा पारिवारिक न्यायालय क्रमशः 2, जयपुर से प्रकरण संख्या 390/2010 उनवानी शिव चौधरी बनाम श्रीमती अल्का चौधरी द्वारा हो गया था तथा उसके बाद अल्का चौधरी शिव चौधरी की वारिस व उत्तराधिकारी नहीं रही। वादग्रस्त आराजी विपक्षियां नंबर 1 द्वारा अपने पास से राशि से राशि व्यय करते हुए विक्रय पत्र में जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उसके आधार पर नामान्तरण अपने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करवाते हुए करवाया तथा विपक्षियां नंबर 1 के हक में तहरीर कर पंजीयन करवाये गये विक्रय पत्र को आज तक चैलेंज नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

इस कारण कानूनन वादग्रस्त आराजीयात बाबत समस्त मालिकाना हक व अधिकार विपक्षियां नंबर 1 में निहित होने के कारण विपक्षिया नंबर 1 के अलावा अन्य कोई हक हिस्सा व अधिकार कभी भी निहित नहीं

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

रहा। जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य को मध्य नजर रखते हुये प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन साबित नहीं होता है। कानूनन किसी भी विक्रय पत्र व उसके आधार पर किये गये इन्द्राज के बाबत संपत्ति पैतृक नहीं होने के कारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किसी प्रकार का घोषणात्मक अनुतोष पारित किया जा सकता है। इस संबंध में अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। वह भी उस स्थिति में जबकि विक्रय पत्र की पालना में दस्तावेजात का निष्पादन किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय पत्र में जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उसके आधार पर नामान्तरण अपने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करवाया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तहरीर कर पंजीयन करवाये गये विक्रय पत्र को आज तक सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर